न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – मुकेश कुमार चौधरी (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 65 / 2013

उनवान

रामचन्द्र दत्तक पुत्र छोटू जातिभील नि. ग्राम बूबानिया नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री मौ0 इकबाल

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थी :–9 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 26.9.18

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश का निवेदन किया कि ग्राम बुबानिया के साबिक खसरा नम्बर 2460 के हाल खसरा नम्बर 3030 रकबा 9–4–10 का आवंटन दिनांक 9.12.75 को प्रार्थी के पिता को किया गया था। जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2041–44 के कालॅम 4 में किया गया था। उक्त इन्द्राज में प्रार्थी के पिता का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। किन्तु प्रार्थी के पिता की जाति भील के स्थान पर रावत दर्ज कर दी गयी। इसी प्रकार हाल जमाबंदी में भी प्रार्थी के पिता की जाति गलत तरीके से भील के स्थान पर रावत दर्ज कर दी गयी। भारत सरकार द्वारा बनाये गये पहचान पत्र व राशन कार्ड में प्रार्थी के पिता की जाति भील ही अंकित है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के पिता की जाति भील के स्थान पर रावत दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में रिपार्ट पेश कर निवेनदन किया कि ग्राम बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 2923 / 0.73 व 2925 / 1.48 छोटू पुत्र छोटू पुत्र कालू के नाम दर्ज थी जो नामान्तकरण संख्या 554 / 23.2.15 द्वारा मृतक छोटू के वारिसान कोयली पत्नी छोटू, अमरी पत्नी नारायण, सोनू, मोनिका पुत्रिया नारायण, गोपाल, पांचू पि. छोटू, सीता, गेन्दा, रेखा पुत्रिया छोटू जाति रावत के नाम दर्ज किया गया। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी छोटू पुत्र कालू के नाम गैर खातेदारी दर्ज थी। नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 2.6.95 के अनुसार पूरे खाते पर खातेदारी दी गयी। चौसाला जमाबंदी में उक्त आराजी उदय सिंह पुत्र मोती सिंह राजपूत के नाम दर्ज थी। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा सिंलिग एक्ट के तहत उक्त भूमि अवाप्त कर पुनः आवंटन की गयी। ग्राम बुबानिया में छोटू पुत्र कालू के नाम से रावत व भील दोनो जातियों के व्यक्ति थे जिनकी दोनो की मृत्यु हो गयी है। ग्रामवासियों द्वारा उक्त आराजी पर भील जाति के परिवार द्वारा काश्त करना बताया गया है।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो दिनांक 6.9.13 को दर्ज रजिस्टर किया गया। हाल जमाबंदी में विरासत का नामान्तकरण प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद खोला गया है। अतः उक्त नामान्तकरण शून्य है। पत्रावली में संलग्न आंवटन पत्र में उक्त आराजी छोटू पुत्र कालू जाति भील को आवंटित हुयी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से आंवटी की जाति भील के स्थान पर रावत दर्ज कर दी गयी। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पेश रिपोर्ट में भी कब्जा भील परिवार का बताया गया है। उक्त आराजी सिंलिग एक्ट में अवाप्त होने के बाद अनुसूचित जनजाति को आंवटित हुयी थी। राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश जाति भील के स्थापर रावत दर्ज कर दी गयी एक ही नाम के दो व्यक्ति हाने के कारण उक्त त्रुटि होना स्वभाविक है किन्तु कब्जा भील परिवार का होने से एवं आवंटन पत्र में अंकित जाति के आधार पर उक्त त्रुटि दुरूस्त की जावे।

राज0 पैरोकार ने अपने रिपोर्ट के तथ्यों को ही दोहराया।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस किया। पत्रावली पर उपलब्ध आवंटन पत्र में वंर्किग खसरा नम्बर 3030 छोटू पुत्र कालू जाति भील पटित हुयी थी। उक्त आवंटन पत्र में आवंटी की जाति स्पष्ट रूप से भील अंकित है। वंर्किग जमाबंदी सरा नम्बर 3030 रकबा 9–4–10 छोटू पुत्र कालू जाति भील के नाम दर्ज करने के बजाय छोटू पुत्र कालू त के नाम दर्ज कर दी गयी। एवं नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 2.6.95 से उक्त आराजी पर खातेदारी धिकार दिये गये। वंर्किग खसरा नम्बर 3030 के हाल खसरा नम्बर 2923/0.73 व 2925/0.75 बने है। जो आधार जमाबंदी में छोटू पुत्र कालू जाति रावत के नाम दर्ज थी। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर छोटू पुत्र कालू रावत के वारिसों की विरासत दर्ज कर दी गयी है। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यो से स्पष्ट है कि ग्राम बुबानिया में छोटू पुत्र कालू नाम के दो व्यक्ति थे जिनकी जाति भील व रावत थी। एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण उक्त भूमि जो की भील जाति के व्यक्ति को आवंटित हुयी थी रावत जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज कर दी गयी व उसके बाद उसकी विरासत भी त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज कर दी गयी। जिस कारण उक्त विरासती नामान्तकरण का अंकन शून्य है। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 2460 रकबा 9–4–10 जमाबंदी सम्वत् 2012–15 में आराजी मुतनाजा उदय सिंह पुत्र मोती सिंह के नाम दर्ज थी। जो सिलिंग एक्ट में अवाप्त होने के बाद पुनः आवंटन की गयी।

भील जाति अनुसूचित जाति वर्ग में आती है उक्त आराजी अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को आवंटित हुयी थी। जिस पर अन्य वर्ग का नाम दर्ज करना गैर कानूनी है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 अनूसूचित जाति के व्यक्तियो के हितों की रक्षा के लिये बनायी गयी विशेष धारा है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आवंटित हुयी भूमि अन्य वर्ग के व्यक्ति के नाम करना धारा 42 की तहत भी बाधित है।** आराजी मुतनाजा पर भील परिवार का कब्जा सिद्व होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है।

अतः ग्राम बुबानिया के हाल खसरा नम्बर 2923 रकबा 0.73, 2925 रकबा 0.75 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **''स्वीकार''** किया जाता है। उक्त आराजी पर दर्ज विरासती नामान्तकरण शून्य है। उक्त आराजी छोटू पुत्र कालू जाति भील के नाम दर्ज की जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दाराम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)